न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक
(चिन्मयी गोपाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 85/2019
प्रविष्टि दिनांक 11-11-2019

रेखा बघेरवाल पत्नी दिनेश कुमार नागा निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला-टोंक
--अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक

--रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी टोंक दिनांक 10-06-2019

उपस्थितिः-1.श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक -अपीलान्ट की ओर से
2.श्री रामभजन मीणा पेशकार सरकार -रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय **दिनांक 22-9-2021**

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 28.04.2017 को ग्राम नगरफोर्ट तहसील दूनी में उचित मूल्य दूकान आवंटन हेतु अपीलांट का उचित मूल्य दुकान के लिय चयन किया गया था, जिससे रेस्पोडेंट ने दिनांक 10.06.2019 को निरस्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश से अपीलान्ट अप्रसन्न होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलवी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम नगरफोर्ट में उचित मूल्य दुकान के लिये प्राधिकार हेतु राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें निर्धारित योग्यतायें/शर्तो के अनुसार अपीलांट को योग्य व्यक्ति मानकर उचित मूल्य दुकानदार के लिये दिनांक 28.04.2017 को चयन करने का आदेश पारित कर दिया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि/अनियमिततायें नही बरती गई थी तथा अपीलांट द्वारा भी दिये गये आदेशो की शर्तो की पूर्ण पालना कर दी गई थी तथा अपीलांट वांछित दस्तावेज व प्रतिभूति जमा करने को तैयार थी, परन्तु रेस्पोडेंट द्वारा उनको ना मानकर दिनांक 10.06.2019 को चयनित अपीलांट के हक में पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 निरस्त कर दिया, जो कि अवैधानिक है तथा गलत है।

अपीलांट का अलोटमेंट इस आधार प[illegible] किया गया है कि उसने Computer Application Diploma Gourment Insti[illegible]on से प्राप्त नही किया है इस वैकेन्सी की पात्रता के लिये आज्ञापक नही था [illegible] Diploma Re[illegible]ed

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Univercity or Institution से प्राप्त करे। उसकी पात्रता के लिये किसी भी Institution से Diploma प्राप्त किया जा सकता है। अपीलांट ने Nurany Computer Education Center नैनवा जिला बून्दी से Diploma प्राप्त किया है, इस संबंध में अपीलांट ने अपना Diploma Certificate भी प्रस्तुत किया था, जिसको स्वीकार किया जाना चाहिये था, इस प्रकार से डी.एस.ओ. द्वारा जो कृत्य किया गया है, वह मनमाने ढंग से किया है और वह भारतीय संविधान अधिनियम के Article 14, 19, 21 के विपरित है। उचित मूल्य दुकान के लिये जो Notification जारी किया गया था, उसकी पात्रता के संबंध किसी भी Terms and Condition अवहेलना नही की गई है,जो Notification जारी किया गया था, उसकी Condition संख्या 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि आवेदक की Education Qualification Graduation डिग्री से पास होना चाहिये और Minimum Knowledge of computer from Rajasthan Knowledge Corporation Limited or other similar situated Institution of 3 month इस आधार पर Notification कि Condition संख्या 3 मे यह आवश्यक नही है कि कोई भी आवेदक Computer Education RKCL से ही प्राप्त करे, वह इसी के समकक्ष अन्य Institution से भी Education प्राप्त कर सकता है। अपीलांट ने Nurany Computer Education Center नैनवा जिला बून्दी से दिनांक 15.5.2018 को Diploma प्राप्त किया है और इसकी प्रति प्रस्तुत की है, उसके बावजूद भी अपीलांट का अलाटमेंट दिनांक 10.06.2017 को केवल मात्र RSCIT का डिप्लोमा प्राप्त नही करने के आधार पर खारिज करने की कानूनी भूल की है। अपीलांट द्वारा एक दुकान किराये पर लेकर किराया नामा पेश कर दिया था। अपीलांट व उसका पति दोनो विकलांक है फिर भी डी.एस.ओ. ने अपील खारीज कर दी। रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 10.06.2019 को निरस्त किये गये आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जहा से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 06.09.2019 को अपीलांट, प्रार्थीया द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्व धारा 22-ए के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारो के तहत अनुमति के साथ रिट को विड्रो करने के आदेश दे दिया है साथ ही यह भी आदेश दे दिया है साथ ही यह भी आदेश दिया है कि उक्त अपील प्रस्तुत होने का उसका 15 दिन के भीतर निर्धारण किया जावे प्रार्थीया/अपीलांट कानूनी से अनभिज्ञय है, जिसको अपीलाधीन आदेश के विरूद्व दी गई कानूनी सलाह के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर रिट याचिका प्रस्तुत कर दी गई थी, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2019 को विड्रा करते हुये अपील की अनुमति दी है, इस कारण अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10-6-2019 निरस्त किया जावे तथा दिनांक 28-4-2017 को पारित आदेश बावत नियुक्ति उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नगरफोंर्ट अपीलान्ट के पक्ष मे बहाल किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति कमांक एफ17(16) ख.वि./न्याय/12 दिनांक 3-3-2015 के अनुसरण में ग्राम नगरफोर्ट तह0 दूनी हेतु श्रीमति रेखा नामा पत्नि श्री दिनेश नामा का आवण्टन सहालाकार समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान हेतु चयन किया गया था। चयनित प्रार्थीया अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ कम्प्यूटर प्रमाण पत्र आरएससीआईटी प्रस्तुत नहीं किया गया था। [illegible] पत्र कमांक 1793 दिनांक 14-6-2017 द्वारा प्रार्थीया अपीलान्ट को [illegible] आरएससीआईटी प्रस्तुत करने बाबत लिखा गया था प्रार्थीया [illegible] खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

7–6–2019 के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर दिनांक 7–6–2019 को ग्राम नगरफोर्ट तह0 दूनी हेतु उचित मूल्य दुकानदार चयन आदेश कमांक 1064 दिनांक 28–4–2017 को दुकान आवण्टन हेतु की गई समस्त प्रकिया को निरस्त कर दिया गया था। श्रीमति रेखा नामा पत्नि श्री दिनेश नामा द्वारा खाद्य विभाग के निर्देशानुसार आरएससीआईटी का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त किया गया है जो उचित एंव सही है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति कमांक एफ17(16) ख.वि./न्याय/12 दिनांक 3–3–2015 के अनुसरण में ग्राम नगरफोर्ट तह0 दूनी हेतु श्रीमति रेखा नामा पत्नि श्री दिनेश नामा का आवण्टन सहालाकार समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान नगरफोर्ट हेतु चयन किया गया था। श्रीमति रेखा नामा को जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांक 1793 दिनांक 14–6–2017 को नोटिस जारी कर आरएससीआईटी का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात भी आरएससीआईटी का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण दुकान का आवन्टन आदेश दिनांक 10–6–2019 को निरस्त किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में ही जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा उक्त आदेश पारित किये गये हैं।जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित ओदश में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 10–6–2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner